

प्रेस नोट दिनांक 09.09.2024

थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा 01 डीसीएम में क्रूरतापूर्वक बाधकर वध हेतु ले जा रहे 11 राशि गोवंशीय पशुओं को बरामद करते हुए 01 शातिर पशु तस्करों को किया गया गिरफ्तार।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत है डेढ़ दर्जन से अधिक अभियोग

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार जनपद मे शराब व गौ तस्करी करने वाले गिरोह के विरुद्ध कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी PDDU नगर आशुतोष के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक अलीनगर विनोद कुमार मिश्रा के कुशल नेतृत्व मे अलीनगर पुलिस टीम द्वारा 01 डीसीएम में क्रूरतापूर्वक बाधकर वध हेतु ले जा रहे 11 राशि गोवंशीय पशुओं को बरामद करते हुए 01 शातिर पशु तस्कर को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पुलिस कार्यवाही- दिनांक 11.09.2024 को उ0नि0 मनीष कुमार सिंह मय हमराह को मुखबिर से सूचना मिली कि एक डीसीएम में गोवंशों को लादकर वाराणसी के तरफ से आ रहा है। जो चन्दौली के रास्ते बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल जाने वाला है। उपरोक्त सूचना के आधार पर थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा सिंघीताली पुल NH2 हाइवे पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान एक एक वाहन को रोक कर चेक करके छोडा जा रहा था। रोके गये वाहनों के बीच में संदिग्ध डीसीएम भी आकर रूक गयी। चेकिंग कर रही पुलिस टीम द्वारा उक्त डीसीएम को रोकने हुए ईशारा किया गया। डीसीएम रोककर चालक भागने का प्रयास किया किन्तु वहां मौजूदा पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी करके पकड लिया गया। डीसीएम के डाले को खोलकर देखा गया तो 11 राशि गोवंश (06 गाय व 05 राशि बछड़ा) गोवंशो को निर्दयता पूर्वक व क्रूरतापूर्ण तरीके से पैर व मुह बाधा गया था। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय चन्दौली पर मु0अ0स0 223/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वह डीसीएम में गोवंश लदे है जिन्हें इटावा से लाद कर बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल वध हेतु ले जा रहे थे। तथा वाहन स्वामी के सहमति से गोवंश के तस्करी का कार्य करते है। उससे उनको जो भी मुनाफा होता है आपस में बांट लेते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. कासिम पुत्र फिरोज खां निवासी ग्रा0 नई बस्ती बोजिया थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।

अपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 02/2016 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना करहल जिला मैनपुरी

2-मु0अ0सं0 459/2021 धारा 379/411 भादवि थाना जसराना जिला फिरोजाबाद

3-मु0अ0सं0 98/2020 धारा 60/63/72 अबकारी अधि0 धारा 272/273/420 भादवि थाना फरिहा जिला फिरोजाबाद

4-मु0अ0सं0 206/2021 धारा 41/102 सीआरपीसी, व धारा 411/414 भादवि थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद

5-मु0अ0सं0 207/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मखवनपुर जिला फिरोजाबाद

6-मु0अ0सं0 21/2022 धारा 380/411 भादवि थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद

7-मु0अ0सं0 158/2022 धारा 380/411/457 भादवि थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद

8-मु0अ0सं0 171/2022 धारा 380/411/457 भादवि थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद

- 9-मु0अ0सं0 209/2022 धारा 379/411 भादवि थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद
- 10-मु0अ0सं0 218/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद
- 11-मु0अ0सं0 407/2022 धारा 3(2) गैंगेस्टर अधि0 थाना थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद
- 12-मु0अ0सं0 473/2021 धारा 379/411 भादवि थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद
- 13-मु0अ0सं0 482/2021 धारा 41/102 सीआपीसी, धारा 379/411/414/420 भादवि थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद
- 14-मु0अ0सं0 653/2021 धारा 380/411 भादवि थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद
- 15-मु0अ0सं0 684/2021 धारा 380/411/457 भादवि थाना शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद
- 16-मु0अ0सं0 46/2021 धारा 307 भादवि थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद
- 17-मु0अ0सं0 49/2021 धारा 60/63/72 आबकारी अधि0 व धारा 272 भादवि थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद
- 18-मु0अ0सं0 02/2016 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना करहल जिला मैनपुरी

पंजीकृत मु0अ0सं0-

- 1.मु0अ0सं0 223/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना अलीनगर जिला चन्दौली।

बरामदगी का विवरण:-

- 1.डीसीएम वाहन नं0 UP 83 P9777
- 2.11 राशि गोवंश (06 गाय व 05 राशि बछड़ा)
- 3.1 नोकिया मोबाइल किपैड

गिरफ्तारी टीम का विवरण-

- 1.विनोद कुमार मिश्रा प्र0नि0 अलीनगर मय हमराह।
- 2.उ0नि0 मनीष कुमार सिंह मय हमराह

प्रेस नोट दिनांक-12.09.2024

थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली

◆ थाना नौगढ़ पुलिस टीम द्वारा 01 मोटर साइकिल पर सवार 03 अभियुक्तों के कब्जे से 10.140 किलो अवैध गांजा बरामद

◆ थाना नौगढ़ पुलिस टीम द्वारा 03 तस्करों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लाग्हे द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अंकुश लगाने के क्रम में दिये गये निर्देश में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन अनिल कुमार व क्षेत्राधिकारी नौगढ़ कृष्ण मुरारी शर्मा के कुशल निर्देशन व थानाध्यक्ष नौगढ़ के नेतृत्व में थाना नौगढ़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान कौवाघाट पुल के पास से 01 मोटर साइकिल बिना नम्बर प्लेट पर सवार 03 व्यक्तियों के कब्जे से 01 बोरी में कुल 10 किलो 140 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना नौगढ़ पर मु0अ0स0 89/2024 धारा 8/20/60 NDPS Act पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

पूछताछ विवरण अभियुक्तगण –

गिरफ्तार अभियुक्तगण 1. अकबाल यादव 2. सुजीत पाल 3. सुधीर कुमार यादव से पूछताछ के दौरान बताया गया कि हम लोग बिहार प्रान्त के भभुआ जिले के थाना अधौरा के ग्राम डुमरकोन से कम दामों पर गांजा खरीदते हैं और उसको लेकर वाहन से गांजा की पुडिया बना कर आस पास के गांव एवं बनारस के घाटो पर बेचते हैं जिससे हमलोगो को ज्यादा फायदा होता है। अपना व अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। हम तीनों लोगो का गिरोह है। हम लोग अपने भौतिक आर्थिक बुनियादी लाभ के लिये अपने तथा अपने गिरोहो के लिये करते है। आज हम लोग पकड़ लिये गये है।

पंजीकृत मुकदमा का विवरण –

1. मु0अ0स0 89/2024 धारा 8/20/60 NDPS Act थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. अकबाल यादव उर्फ इकबाल पुत्र महावीर यादव निवासी ग्राम तेंदुआ थाना रायपुर जनपद सोनभद्र उम्र करीब 23 वर्ष
2. सुजीत पाल पुत्र ओम प्रकाश पाल निवासी ग्राम भभौरा थाना चक्रिया जनपद चन्दौली उम्र करीब 19 वर्ष
3. सुधीर कुमार यादव पुत्र राम चन्द्र निवासी ग्राम तेंदुआ थाना रायपुर जनपद सोनभद्र उम्र करीब 19 वर्ष

बरामदगी –

10 किलो 140 ग्राम गांजा व अभियुक्तगण की जामा तलाशी से कुल 370 रूपया बरामद।
एक मोटर साइकिल बिना नम्बर प्लेट (घटना मे प्रयुक्त)

गिरफ्तारी /बरामदगी करने वाली टीम -

1. थानाध्यक्ष कृपेन्द्र प्रताप सिंह थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली ।
2. उ0नि0 मनोज कुमार तिवारी चौकी प्रभारी चन्द्रप्रभा थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली ।
3. हे0का0 अमित कुमार यादव थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली ।
4. का0 शुभम पाण्डेय थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली ।
5. का0 सूरज यादव थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली ।

प्रेस नोट दिनांक-12.09.2024

थाना इलिया जनपद चन्दौली

◆ थाना इलिया पुलिस द्वारा 16 लीटर अवैध शराब के साथ दो शराब तस्करो को किया गया गिरफ्तार

चंदौली:- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा शराब/अवैध गोतस्करो के विरुद्ध कार्यवाही हेतु दिये गये आदेश/निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन व क्षेत्राधिकारी चकिया के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक इलिया के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा एक प्लास्टिक के झोले में 80 पाउच ट्विन टावर देशी शराब (मशाला) मात्रा प्रत्येक 200 ML कुल 16.00 लीटर शराब अवैध तरीके से बेचने हेतु बिहार राज्य ले जाया जा रहा था कि माल्दह नहर पुलिस के पास से पकड लिये गये। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 97/2024 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत होकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्तगण-

1. दीपक यादव पुत्र कन्हैया यादव नि0 ग्राम बुढवल थाना चकिया जनपद चन्दौली उम्र 19 वर्ष
2. टिन्कू सोनकर S/O स्व0 बचाऊ सोनकर नि0 ग्राम मवैया लेवा रोड थाना बबुरी जनपद चन्दौली उम्र 28 वर्ष।

विवरण बरामदगी-

1. एक प्लास्टिक के झोले में 80 पाउच ट्विन टावर देशी शराब (मशाला) मात्रा प्रत्येक 200 ML कुल 16 लीटर अवैध शराब
2. एक स्पेलेन्डर मोटर साइकिल वाहन संख्या UP67E0197

गिरफ्तारी व बरामदगी की पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक हरिश्चन्द्र सरोज थाना इलिया जनपद चन्दौली।
उ0नि0 भोला सिंह थाना इलिया जनपद चन्दौली।
हे0का0 दिनेश कुमार थाना इलिया जनपद चन्दौली।
का0 जगन्नाथ सोनकर थाना इलिया जनपद चन्दौली।
का0 सत्येन्द्र गुप्ता थाना इलिया जनपद चन्दौली।

प्रेस नोट दिनांक 12.09.2024

थाना धीना जनपद चन्दौली

थाना धीना पुलिस टीम द्वारा 01 पिकअप में क्रूरतापूर्वक तरीके से वध हेतु ले जा रहे 03 राशि गोवंशों के साथ 02 शातिर तस्करों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगहे के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा रघुराज के कुशल मार्गदर्शन व पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक रमेश कुमार यादव के द्वारा गठित पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान 01 पिकअप में क्रूरतापूर्वक तरीके से वध हेतु ले जा रहे 03 राशि गोवंशों के साथ 02 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

पुलिस कार्रवाई-

दिनांक 11.09.204 को थाना धीना पुलिस टीम द्वारा चेंकिंग की जा रही थी कि थाना धानापुर के तरफ से एक टाटा पिकअप तीव्र गति से आता हुआ दिखाई दिया। चेंकिंग कर रही पुलिस टीम को देखकर पिकअप चालक व अन्य साथी पिकअप को छोड़कर भागने लगा। सदिग्ध लगने के कारण मौजूदा पुलिस टीम द्वारा चालक सहित अन्य साथियों को पकड़ लिया गया। पिकअप की तलाशी ली गई तो पिकअप में क्रूरतापूर्ण तरीके से गोवंशों को बाधा गया था। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 81/2024 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

नाम पता अभियुक्त-

- 1.मंगलेश्वर कुमार पुत्र वृजेश सरोज नि0 लहरतारा नई बस्ती पुराना कबीरमठ थाना मडुवाडीह जनपद उम्र करीब 22 वर्ष
- 2.प्रदुम कुमार सरोज पुत्र वृज मोहन नि0 सुल्तानीपुर दुल्लहपुर थाना चोलापुर जनपद वाराणसी
- 3.वाहन स्वामी विनित कुमार गुप्ता पुत्र कुंजी लाल नि0 C-10/88 जियापुर पितरकुण्डा थाना चेतगंज जनपद वाराणसी

विवरण बरामदगी-

- 3 राशि गोवंश (02 गाय, 01 बछिया)
1 पिकअप

गिरफ्तारी बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

- 1.प्र0नि0 रमेश यादव थाना धीना जनपद चन्दौली
- 2.उ0नि0 तरुण कुमार कश्यप
- 3.हे0का0 सुरेन्द्र कुमार
- 4.हे0का0 मुकेश निषाद
- 5.हे0का0 जितेन्द्र प्रसाद

प्रेस नोट दिनांक-12.09.2024

थाना बबुरी जनपद चन्दौली

- ◆ पुलिस अधीक्षक चंदौली, श्री आदित्य लांगे के निर्देशन में अपराध नियंत्रण पर थाना बबुरी पुलिस टीम की बड़ी कार्यवाही
- ◆ थाना बबुरी पुलिस टीम द्वारा गाँजा तस्करी करने वाले 05 अभियुक्तों के विरुद्ध की गई गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही
- ◆ आपराधिक कृत्यों से समाज में आम जनता के मध्य भय और आतंक का माहौल बनाने वाले अभियुक्तगण के विरुद्ध की गयी गैंगेस्टर एक्ट की गयी कार्यवाही
- ◆ इन अपराधियों का एक सक्रिय संगठित गिरोह है, जो अपने आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु करता है अवैध गाँजा तस्करी जैसे अपराध कारित करते है।

चंदौली:- श्री आदित्य लांगे, पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा अपराध/तस्करी में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देश के अनुपालन मे चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय सिंह व क्षेत्राधिकारी पी.डी.डी.यू. नगर आशुतोष के पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार पाण्डेय थाना बबुरी जनपद चन्दौली द्वारा गाँजा की तस्करी करने वाले अपराधियो गैंग लीडर 1- मुनाजिर पुत्र छेद्दा निवासी सौफी मेडिकल के पास अनवर नगर करौली थाना कटघर जनपद मुरादाबाद उम्र करीब 50 वर्ष व सदस्यगण 2-इमरान पुत्र नासिर अली निवासी ग्राम महमूदपुर माफी थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद वर्तमान पता गली नं0 7 बड़ी मस्जिद टिला पर जयन्ती नगर थाना मझौला जनपद मुरादाबाद उम्र करीब 25 वर्ष 3-हरिवंश यादव पुत्र सुखई यादव निवासी ग्राम देवाकलपुर थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर हालपता साईं बिहार कालोनी जगदीशपुर थाना जफराबाद जनपद जौनपुर उम्र करीब 52 वर्ष 4-अनुज सिंह पुत्र जय प्रकाश सिंह निवासी ग्राम कुदूपुर थाना लाइन बाजार जनपद जौनपुर उम्र करीब 41 वर्ष 5- दीपक सिंह पुत्र स्व0 विमल सिंह निवासी ग्राम जगदीशपुर थाना जफराबाद जिला जौनपुर उम्र करीब 37 वर्ष के विरुद्ध मु0अ0स0 100/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि0 1986 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

अभियुक्तगण के अपराधिक इतिहास का विवरण-

1. मु0अ0स0 118/21 धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट व 420 भादवि थाना बबुरी जनपद चन्दौली
2. मु0अ0स0 100/24 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि0 1986 थाना बबुरी जनपद चन्दौली

अभियुक्तगण का विवरण-

गैंग लीडर-

मुनाजिर पुत्र छेद्दा निवासी सौफी मेडिकल के पास अनवर नगर करौली थाना कटघर जनपद मुरादाबाद उम्र करीब 50 वर्ष

गैंग सदस्य-

- 1-इमरान पुत्र नासिर अली निवासी ग्राम महमूदपुर माफी थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद वर्तमान पता गली नं0 7 बड़ी मस्जिद टिला पर जयन्ती नगर थाना मझौला जनपद मुरादाबाद उम्र करीब 25 वर्ष
 - 2-हरिवंश यादव पुत्र सुखई यादव निवासी ग्राम देवाकलपुर थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर हालपता साईं बिहार कालोनी जगदीशपुर थाना जफराबाद जनपद जौनपुर उम्र करीब 52 वर्ष
 - 3-अनुज सिंह पुत्र जय प्रकाश सिंह निवासी ग्राम कुदूपुर थाना लाइन बाजार जनपद जौनपुर उम्र करीब 41 वर्ष
 - 4-दीपक सिंह पुत्र स्व0 विमल सिंह निवासी ग्राम जगदीशपुर थाना जफराबाद जिला जौनपुर उम्र करीब 37 वर्ष
- कार्यावाही करने वाली टीम -

प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार पाण्डेय थाना बबुरी जनपद चन्दौली

थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली

- ◆ पुलिस अधीक्षक चंदौली, श्री आदित्य लांगे के निर्देशन में अपराध नियंत्रण पर थाना नौगढ़ पुलिस टीम की बड़ी कार्यवाही।
- ◆ थाना नौगढ़ पुलिस टीम द्वारा गौ तस्करी करने वाले 02 अभियुक्तों के विरुद्ध की गई गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही
- ◆ आपराधिक कृत्यों से समाज में आम जनता के मध्य भय और आतंक का माहौल बनाने वाले अभियुक्तगण के विरुद्ध की गयी गैंगेस्टर एक्ट की गयी कार्यवाही।
- ◆ इन अपराधियों का एक सक्रिय संगठित गिरोह है, जो अपने आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु करता है गोवंश तस्करी जैसे अपराध कारित करते है।

चंदौली:- पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली श्री आदित्य लांगे द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा अपराध में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देश के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (आप0) अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी नौगढ़ कृष्ण मुरारी शर्मा के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष कृपेन्द्र प्रताप सिंह थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की जा रही अभिसूचना संकलन की कार्यवाही के क्रम में थाना नौगढ़ क्षेत्र से पैदल हाककर जंगल के रास्ते गोवंश की तस्करी करने वाले अभियुक्तगण गैंग लीडर 1. सुलाब पुत्र फूलचन्द नि0 ग्राम नरकटी थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली उम्र 45 वर्ष सदस्य 2.रामसखी पुत्र बन्धू निवासी ग्राम जनकपुर थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली उम्र 55 वर्ष के विरुद्ध मु0अ0स0 90/2024 धारा 3(1) 30प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि0 1986 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

अभियुक्तगण का विवरण-

गैंगलीडर-1.सुलाब पुत्र फूलचन्द नि0 ग्राम नरकटी थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली उम्र 45 वर्ष
सदस्य- 2.रामसखी पुत्र बन्धू निवासी ग्राम जनकपुर थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली उम्र 55 वर्ष

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास का विवरण –

- 1.मु0अ0सं0 – 70/2023 धारा धारा 3/5A/8 गौ वध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना नौगढ़ चन्दौली
- 2.मु0अ0सं0 90/2024 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली

कार्यवाही करने वाली टीम –

- 1.थानाध्यक्ष कृपेन्द्र प्रताप सिंह थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली।
- 2.का0 विशाल यादव थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली।
- 3.का0 शुभम पाण्डेय थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली।

जनपद चन्दौली

◆ पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन मे चलाया गया वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान

◆ विशेष अभियान के तहत गिरफ्तार किये गये कुल 67 वांछित अभियुक्त

चंदौली:- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगे के निर्देशन में वांछित/वारन्टी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन अनिल कुमार यादव व अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह के मार्गदर्शन तथा समस्त क्षेत्राधिकारीगण के कुशल पर्यवेक्षण में थाना मुगलसराय द्वारा 04, थाना चकरघट्टा द्वारा 01, थाना सकलडीहा द्वारा 02, थाना सैयदराजा द्वारा 05, थाना अलीनगर द्वारा 03, थाना चकिया द्वारा 08, थाना चंदौली द्वारा 06, थाना बबुरी द्वारा 04, थाना कंदवा द्वारा 03, थाना बलुआ द्वारा 04, थाना धीना द्वारा 09, थाना धानापुर द्वारा 04, थाना शहाबगंज द्वारा 12 व थाना इलिया द्वारा 02 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

■ □ थाना मुगलसराय-

थाना मुगलसराय की पुलिस टीम द्वारा चोरी/नकबजनी करने जैसे अपराध मे सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध की जा रही अभिसूचना संकलन की कार्यवाही के क्रम में थाना क्षेत्र में अभियुक्त गण द्वारा एक सुसंगठित गिरोह बना कर अपने तथा अपने गिरोह के सदस्यों के आर्थिक भौतिक एवं दुनियावी लाभ हेतु अपराधियो द्वारा घर के अन्दर से घरेलू सामान व मोबाइल आदि की चोरी कर लेने किये जाने का अपराध कारित करने वाले वांछित अभियुक्तगण गैंग लीडर परवेश खान पुत्र गुलाम गौस निवासी गोलाघाट थाना रामनगर जनपद वाराणसी उम्र 26 वर्ष, इस गैंग के सक्रिय सदस्य सुहैल खान उर्फ इन्नी पुत्र अप्पू खान निवासी गोपालपुर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली उम्र 25 वर्ष की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा था कि जरिये मुखबीर खास सूचना मिली कि सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण अपने अपने घरों पर आये है इस सूचना पर ग्राम गोपालपुर मे अभियुक्तगणों के घर के पास से गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की प्रचलित है।

अभियुक्तगण का विवरण व अपराधिक इतिहास का विवरण -

गैंग लीडर

1. परवेश खान पुत्र गुलाम गौस निवासी गोलाघाट थाना रामनगर जनपद वाराणसी उम्र 26 वर्ष

1. मु0अ0सं0 43/2023 धारा 380 भादवि थाना मुगलसराय चन्दौली ।

2. मु0अ0सं0 393/2022 धारा 457/380 भादवि थाना मुगलसराय चन्दौली ।

गैंगसदस्य

सुहैल खान उर्फ इन्नी पुत्र अप्पू खान निवासी गोपालपुर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली उम्र 25 वर्ष

1. मु0अ0सं0 43/2023 धारा 380 भादवि थाना मुगलसराय चन्दौली ।

2. मु0अ0सं0 393/2022 धारा 457/380 भादवि थाना मुगलसराय चन्दौली ।

कार्यवाही करने वाली टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक विजय बहादुर सिंह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

2. हे0का0 योगेश प्रताप सिंह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

3. हे0का0 यशवन्त चौधारी थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

■ □ थाना मुगलसराय की पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थ (गांजा) की तस्करी जैसे अपराध मे सक्रिय अपराधियों के विरूद्ध की जा रही अभिसूचना संकलन की कार्यवाही के क्रम में थाना क्षेत्र में अभियुक्त गण द्वारा एक सुसंगठित गिरोह बना कर अपने तथा अपने गिरोह के सदस्यों के आर्थिक भौतिक एवं दुनियावी लाभ हेतु अपराधियो द्वारा गांजा की तस्करी करने का अपराध कारित करने वाले वांछित अभियुक्तगण गैंग लीडर सत्यदेव कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व० मृत्युंजय प्रसाद नि० थाना रामनगर वाराणसी उम्र 44 वर्ष स्वयं है, व इस गैंग की सक्रिय सदस्य सरिता पत्नी स्व० राधेश्याम नि० कूढकला थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली उम्र 42 वर्ष को मुखबीर खास की सूचना पर ग्राम कुढकला से अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।
गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण व आपराधिक इतिहास-

गैंग लीडर

1. सत्यदेव कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व० मृत्युंजय प्रसाद नि० थाना रामनगर वाराणसी उम्र 44 वर्ष ।

1. मु०अ०सं 38 / 2024 धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना मुगलसराय चन्दौली ।

गैंग सदस्य

1. सरिता पत्नी स्व० राधेश्याम नि० कूढकला थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली उम्र 42 वर्ष ।

1. मु०अ०सं 38 / 2024 धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना मुगलसराय चन्दौली ।

कार्यवाही करने वाली टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक विजय बहादुर सिंह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

2. उ०नि० ब्रम्हाशंकर राय थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

3. उ०नि० हेमन्त यादव थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

■ □ थाना चकरघट्टा-

थाना चकरघट्टा पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 54/24 धारा 3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 मे वांछित अभियुक्त सूरज कुमार पुत्र स्व०रामपति नि० ग्रा० झड़पी थाना रायपुर जनपद सोनभद्र को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सूरज कुमार पुत्र स्व०रामपति नि० ग्रा० झड़पी थाना रायपुर जनपद सोनभद्र उम्र 27 वर्ष।

पंजीकृत मुकदमा का विवरण-

मु०अ०सं० 54/24 धारा 3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्र०नि० धीरेन्द्र प्रताप सिंह थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

5. हे.का. विरेन्द्र कुमार थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

6. हे.का. रत्नेश कुमार पाण्डेय थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली

■ □ थाना सैयदराजा-

थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा थाना सैयदराजा पर पंजीकृत मु.अ.सं. 114/2024 धारा 3/5A/5B/8 गोवध नि. अधिनियम व 11 पशु क्रूरता नि. अधिनियम मे वांछित अभियुक्त रिशिकान्त पाण्डेय पुत्र महेन्द्र पाण्डेय निवासी ग्राम अलहलादपुर मैढ़ी थाना

सैयदराजा जनपद चन्दौली उम्र करीब 23 वर्ष, को अभियुक्त के घर ग्राम अलहलादपुर मैढी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराधिक इतिहास –

1. मु.अ.सं. 114/2024 धारा 3/5A/5B/8 गोवध नि. अधिनियम व 11 पशु क्रूरता नि. अधिनियम थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का विवरण-

1. रिशीकान्त पाण्डेय पुत्र महेन्द्र पाण्डेय निवासी ग्राम अलहलादपुर मैढी थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली उम्र करीब 23 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
2. 30नि0 धर्मदेव प्रसाद थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
3. 30नि0 विजय प्रताप सिंह थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
4. हे0का0 अशोक सोनकर थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

■ □ थाना सकलडीहा

थाना सकलडीहा पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 208/2022 धारा 419,420,467,468,471,120बी भादवि का वांछित अभियुक्त अवधेश कुमार यादव पुत्र रामनरायण यादव निवास ग्राम लेहरा थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली को सघन तिराहा बहद् ग्राम नागपुर से गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्त-

1. अवधेश कुमार यादव पुत्र रामनरायण यादव उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम लेहरा थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली
2. 30नि0 त्रिवेणी प्रसाद तिवारी कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली
3. का0 अरविन्द सिंह कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली

थाना सकलडीहा पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तारी अभियान में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-139/2024 धारा 115(2)/351(2)/352 BNS का वांछित अभियुक्त राजाबाबू पुत्र होरीलाल निवासी ग्राम धरहरा थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली को आज दिनांक 11.09.2024 समय 14.20 बजे पेट्रोल पम्प धरहरा बहद् ग्राम धरहा से गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। मुकदमा उपरोक्त के अभियुक्त द्वारा महिला के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट किया गया था एवं जान से मारने की धमकी दिया था।

नाम व पता अभियुक्त-

राजाबाबू पुत्र होरीलाल निवासी ग्राम धरहरा थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली उम्र 20 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. 30नि0 सुरेश प्रकाश सिंह चौकी प्रभारी डेढावल कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली
2. हे0का0 उमाकान्त चौकी डेढावल कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली

■ □ थाना चंदौली

थाना चंदौली पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 218/2024 धारा 305, 317(2) बी.एन.एस. से सम्बन्धित वांछित 02 अभियुक्तगण को विकास भवन अण्डरपास से गिरफ्तार किया गया तथा उनके पास से 02 कटर मशीन, 01 राइडर मशीन, 01 रन्दा मशीन, 01 ग्लाइडर मशीन, 01 छेदा मशीन, 01 हथौड़ी, 01 बसुला व 01 बैटरी बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 218/2024 धारा 305/317(2) बीएनएस थाना व जिला चन्दौली

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. बादल पुत्र विहारी डोम उम्र करीब 22 वर्ष

2. अरुन पुत्र विहारी राम उम्र करीब 24 वर्ष निवासी गण वार्ड नं0 7 किदवई नगर थाना व जिला चन्दौली

बरामदगी का विवरण-

02 कटर मशीन किमत 5000 रुपये

01 राइडर मशीन किमत 2000 रुपये

01 रन्दा मशीन किमत 1500 रुपये

01 ग्लाइडर मशीन किमत 2000 रुपये

01 छेदा मशीन किमत 1200 रुपये

01 हथौड़ी किमत 100 रुपये

01 बसुला किमत 100 रुपये

01 बैटरी किमत 800 रुपये

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 दुर्गेश यादव थाना व जनपद चंदौली

2. का0 विजय गौड़ थाना व जनपद चंदौली

■ □ थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 167/24 धारा 191(2)/74/109(1)/333 बीएनएस के वांछित अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया व थाना कोतवाली चन्दौली में नियमानुसार दाखिल कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

अभिनव सिंह उर्फ रिशू सिंह उर्फ बाबा पुत्र मनोज सिंह नि0 हिनौती थाना व जनपद चन्दौली उम्र करीब 26 वर्ष

जितेन्द्र कुमार पुत्र दिलीप कुमार नि0 हिनौती थाना व जिला चन्दौली उम्र करीब 25 वर्ष

अपराध विवरण:-

1. मु0अ0सं0 167/24 धारा 191(2)/74/109(1)/333 बीएनएस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 श्री रावेन्द्र सिंह चौकी प्रभारी हाइवे मण्डी थाना चन्दौली जनपद चन्दौली।

2. का0 सागर यादव थाना व जिला चन्दौली

- □ थाना चन्दौली पुलिस टीम द्वारा महेन्द टेक्निकल इण्टर कालेज चन्दौली के पास से मु0अ0स0 219/24 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित वाहन संख्या UP67W3296 मोसा0 व एक नफर अभियुक्त असरफ अली उर्फ विद्न पुत्र जमालुद्दीन निवासी ग्राम बरहनी थाना कन्दवा जिला चन्दौली को गिरफ्तार कर बरादगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

बरामद माल का विवरण –

1.मु0अ0स0 219/24 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित वाहन संख्या UP67W3296 मोसा0

*अभियुक्त का नाम पता – *

1- असरफ अली उर्फ विद्न पुत्र जमालुद्दीन निवासी ग्राम बरहनी थाना कन्दवा जिला चन्दौली

बरामद करने वाली टीम –

- 1.उ0नि0 दुर्गेश यादव चौकी प्रभारी कस्बा थाना कोतवाली चन्दौली ।
- 2.का0 विजय कुमार चौकी कस्बा थाना कोतवाली चन्दौली ।
- 3.का0 इन्द्रजीत यादव चौकी कस्बा थाना कोतवाली चन्दौली ।

▪ □ थाना अलीनगर

प्रभारी निरीक्षक अलीनगर विनोद कुमार मिश्रा के नेतृत्व में अलीनगर पुलिस टीम द्वारा दो अभियुक्तगण 1. अरविन्द यादव पुत्र स्व0 हंसलाल यादव ,2. मोनू यादव पुत्र स्व0 रामअवतार यादव ,3. अमन यादव पुत्र रविन्द्र यादव 4. रविन्द्र यादव पुत्र स्व0 हंसलाल यादव समस्त निवासीगण कैथा उर्फ टण्डिया थाना अलीनगर चन्दौली ग्राम कैथा उर्फ टण्डिया थान अलीनगर जनपद चन्दौली सम्बन्धित मु0नं0 180/24 धारा 323,504,325 भादवि में पंजीकृत किया गया जिसमे से 1. अरविन्द यादव पुत्र स्व0 हंसलाल यादव को गिरफ्तार किया गया ।

तथा 1. बाके राजभर पुत्र स्व0 रामबृक्ष निवासी ग्राम घाटमपट्टी चाँदपुर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली रविन्द्र यादव पुत्र स्व0 हंस लाल यादव, सम्बन्धित मु0न0 209/24 धारा 115(2),352,351(2) बीएनएस को क्रमशः कैथा उर्फ टण्डिया व घाटमपट्टी चाँदपुर से गिरफ्तार किया गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण–

- 1.अरविन्द यादव पुत्र स्व0 हंसलाल यादव निवासी ग्राम कैथा उर्फ टण्डिया थाना अलीनगर चन्दौली ग्राम कैथा उर्फ टण्डिया थान अलीनगर जनपद चन्दौली (180/24)
- 2.बाके राजभर पुत्र स्व0 रामबृक्ष निवासी ग्राम घाटमपट्टी चाँदपुर थाना अलीनगर जनपद चन्दौली(209/24)

गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम-

- 1.विनोद कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना अलीनगर जनपद चन्दौली ।
- 2.का0 राहुल खरवार थाना अलीनगर जनपद चन्दौली ।
- 3.का0 रंजीत यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली ।

▪ □ थाना चकिया

थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 48/2024 धारा 3(1) उ.प्र. गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गोरख यादव उर्फ केशव पुत्र रामप्रसाद यादव निवासी ग्राम मूसाखाड थाना चकिया जनपद चन्दौली को मुहम्मदाबाद तिराहे से गिरफ्तार किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रामप्रकाश उर्फ प्रकाश यादव पुत्र स्व0 रामसूरत यादव निवासी ग्राम मुबारकपुर थाना चकिया जनपद चन्दौली व मु0अ0सं0 114/24 धारा 3(1) उ.प्र. गैंगेस्टर एक्ट थाना चकिया में वांछित अभियुक्तगण 1. नीरज कुमार पुत्र सुरेश प्रसाद 2. सोनू पुत्र मुरारी निवासीगण ग्राम रामपुर चमरही थाना बबुरी जिला चन्दौली द्वारा मा0 न्यायालय चन्दौली मे आत्मसमर्पण किया गया जिसे न्यायिक अभिरक्षा मे निरूद्ध किया गया। तथा गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

नाम पता अभियुक्त-

1. गोरख यादव उर्फ केशव पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम मूसाखाड थाना चकिया जनपद चन्दौली- गिरफ्तार
2. नीरज कुमार पुत्र सुरेश प्रसाद निवासी ग्राम रामपुर चमरही थाना बबुरी जिला चन्दौली- हा0अ0
3. सोनू पुत्र मुरारी निवासी ग्राम रामपुर चमरही थाना बबुरी जिला चन्दौली- हा0अ0
4. रामप्रकाश उर्फ प्रकाश यादव पुत्र स्व0 रामसूरत यादव निवासी ग्राम मुबारकपुर थाना चकिया जनपद चन्दौली

आपराधिक इतिहास-

1. अभियुक्त गोरख यादव उर्फ केशव-

- 1-मु.अ.सं. 25/24 धारा 3/5ए/5बी/8 गो.नि. अधि. व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली
 - 2-मु.अ.सं. 48/24 धारा 3(1) उ.प्र. गैंगेस्टर एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली
- ##### **2. अभियुक्त नीरज कुमार -**
- 1-मु0अ0सं0 52/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इलिया चन्दौली
 - 2-मु0अ0सं0 127/22 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना इलिया चन्दौली
 - 3-मु0अ0सं0 55/24 धारा 3/5ए/5बी/8 गो0नि0 अधि0 व 11 पशु क्रू0नि0 अधि0 व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली
 - 4-मु0अ0सं0 114/24 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली
 - 5-मु0अ0सं0 73/21 धारा 3/5ए/5बी/8 गो0नि0 अधि0 व 11 पशु क्रू0नि0 अधि0 व 429 भादवि थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली
 - 6-मु0अ0सं0 121/17 धारा 279/304ए/337/338/427 भादवि थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली
 - 7-मु0अ0सं0 203/18 धारा 3/5ए/8 गो0नि0 अधि0 व 11 पशु क्रू0नि0 अधि0 थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

3. अभियुक्त सोनू -

1. मु0अ0सं0 55/24 धारा 3/5ए/5बी/8 गो0नि0 अधि0 व 11 पशु क्रू0नि0 अधि0 व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली
2. मु0अ0सं0 114/24 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली

***4- अभियुक्त रामप्रकाश उर्फ प्रकाश यादव-**

1. मु0अ0सं0 187/17 धारा 3/5ए/8 गो0नि0 अधि0 व 11 पशु क्रू0नि0 अधि0 थाना चकिया जनपद चन्दौली
2. मु0अ0सं0 50/17 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली
3. मु0अ0सं0 75/24 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली
4. मु.अ.सं. 48/24 धारा 3(1) उ.प्र. गैंगेस्टर एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली
5. मु.अ.सं. 25/24 धारा 3/5ए/5बी/8 गो.नि. अधि. व 11 पशुक्रूरता नि. अधि. व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली

■ □ थाना बबुरी

थाना बबुरी पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 89/24 धारा 3(1) उ0प्र0 गैग्रेस्टर एक्ट थाना बबुरी जनपद चन्दौली से सम्बन्धि वांछित अभियुक्त 1.सुभाष सोनकर पुत्र सकलू सोनकर निवासी ग्राम बिसौरी थाना चन्दौली जनपद चन्दौली उम्र करीब 35 वर्ष को ग्राम दुधारी पुलिस थाना क्षेत्र सैयदराजा जनपद चन्दौली से समय 19.30 बजे गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्तगण-

1.सुभाष सोनकर पुत्र सकलू सोनकर निवासी ग्राम बिसौरी थाना चन्दौली जनपद चन्दौली उम्र करीब 35 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण-

1.अनिल कुमार पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक थाना बबुरी जनपद चन्दौली

1.उ0नि0 अवधेश नरायण थाना बबुरी जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक 11.09.2024

जनपद चन्दौली

- ◆ पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में चलाया गया वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान
- ◆ विशेष अभियान के तहत गिरफ्तार किये गये कुल 12 वारन्टी अभियुक्त

चंदौली:- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगहे के निर्देशन में वारन्टी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन अनिल कुमार यादव व अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह के मार्गदर्शन तथा समस्त क्षेत्राधिकारीगण के कुशल पर्यवेक्षण में थाना बलुआ द्वारा 03, थाना चकिया द्वारा 01, थाना सकलडीहा द्वारा 03, थाना धानापुर द्वारा 04 व चक्करघट्टा द्वारा 01 वारन्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

■ □ थाना बलुआ

थाना बलुआ पुलिस टीम द्वारा 03 वारण्टीगण को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। जिसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टीगण का विवरण-

1. मुराही पत्नी स्व० धर्मदेव नि० बैराठ थाना बलुआ जनपद चन्दौली उम्र 65 वर्ष सम्बन्धित मु०न० 521/17 अ०सं० 23/04 धारा 323/325/504 भादवि।
2. जयनाथ यादव पुत्र तिलक धारी निवासी सराय रसूलपुर थाना बलुआ चन्दौली उम्र 52 वर्ष सम्बन्धित अ०सं० 06/14 धारा 323/325/504/506 भादवि।
3. मो० इसरत मिस्त्री पुत्र स्व० मुस्तकीम निवासी नैढी थाना बलुआ जनपद चन्दौली उम्र 60 वर्ष सम्बन्धित मु०न० 847/17 एनसीआर न० 134/13 धारा 323/504 भादवि

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. थानाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्रा थाना बलुआ जनपद चन्दौली
2. उ०नि० सूर्यप्रताप सिंह चौकी प्रभारी मोहरगंज थाना बलुआ जनपद चन्दौली
3. हे०का० विजय शंकर थाना बलुआ जनपद चन्दौली
4. म०का० शालिनी चौधरी थाना बलुआ जनपद चन्दौली

■ □ थाना चकिया

थाना चकिया पुलिस टीम द्वारा मा० न्यायालय से निर्गत NBW से संबंधित वारंटी 1. लालब्रत पुत्र शिवमूरत निवासी मोहम्मदाबाद थाना चकिया जनपद चन्दौली को उसके घर के बाहर से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा वारंटी का विवरण-

1. लालब्रत पुत्र शिवमूरत निवासी मोहम्मदाबाद थाना चकिया जनपद चन्दौली

अपराधिक इतिहास-

1. एनबीडब्लू/82 सीआरपीसी सी एन नं० 76/93 बनाम लालब्रत धारा 26 वन अधि० थाना चकिया जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थानाध्यक्ष अतुल कुमार प्रजापति थाना चक्रिया जनपद चन्दौली
उ०नि० सुनील कुमार थाना चक्रिया जनपद चन्दौली
का० अनिल सिंह थाना चक्रिया जनपद चन्दौली

■ □ थाना सकलडीहा

थाना सकलडीहा पुलिस टीम द्वारा माननीय न्यायालय से जारी NBW में 03 वारण्टी अभियुक्तगण को विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

नाम पता गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगण-

1. अजय जायसवाल पुत्र मनीष जायसवाल निवासी ग्राम नागेपुर थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली उम्र 34 वर्ष
मा० न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) /फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम चन्दौली मु०नं० 1741/2013 अ०सं० 269/09 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
2. प्रिंस कुमार सिंह पुत्र राजेश सिंह निवासी ग्राम सलेमपुर थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली उम्र 29 वर्ष
प्रकीर्ण वाद सं० 863/2023 धारा 128 सीआरपीसी मा० न्यायालय प्रधान न्यायधीश परिवार न्यायालय चन्दौली
3. दुर्गा राजभर पुत्र राजा राम राजभर निवासी ग्राम दिघवट थाना चन्दौली जनपद चन्दौली उम्र 58 वर्ष
मा० न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली मु०नं० 422/10 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली
2. उ०नि० सुरेश प्रकाश सिंह चौकी प्रभारी डेढावल कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली
3. उ०नि० विजय राज चौकी प्रभारी नई बाजार कोतवाली सकलडीहा जनपद चन्दौली

■ □ धानापुर

थाना धानापुर पुलिस टीम द्वारा वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये सघन अभियान के दौरान 04 वारण्टी को उनके घर से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

नाम पता गिरफ्तार वारण्टी-

1. शंकर बिन्दु पुत्र मेवालाल निवासी ग्राम कवई पहाड़पुर थाना धानापुर जनपद चन्दौली
2. छब्बूलाल पुत्र हरिदास निवासी ग्राम कवई पहाड़पुर थाना धानापुर जनपद चन्दौली
सम्बन्धित मु.नं. 2908/07 धारा 3/5ए/8 गो०नि०अधि० मा० न्यायालय चन्दौली
3. रमेश गिरी पुत्र कंचन गिरी निवासी ग्राम निदिलपुर थाना धानापुर जनपद चन्दौली
सम्बन्धित मु.नं. 103/08 धारा 279,337,338 भादवि मा० न्यायालय चन्दौली
4. मुटुन बिहारी पुत्र स्व० बीरा यादव निवासी ग्राम अटौली थाना धानापुर जनपद चन्दौली
सम्बन्धित मु.नं. 400183/16 धारा 323,504,324 भादवि मा० न्यायालय चन्दौली

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –

1. उ०नि० केशव प्रसाद सिंह थाना धानापुर जनपद चन्दौली

2.30नि0 कृष्ण कुमार उपाध्याय चौकी प्रभारी भदाहूं थाना धानापुर जनपद चन्दौली

3.30नि0 सुरेश यादव थाना धानापुर जनपद चन्दौली

■ □ थाना चक्करघट्टा

थाना चक्करघट्टा पुलिस टीम द्वारा वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये सघन अभियान के दौरान 04 वारण्टी को उनके घर से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

नाम पता गिरफ्तार वारण्टी-

बबुराम यादव पुत्र रामदेव यादव निवासी ग्राम कुबराडीह थाना चक्करघट्टा

वाद संख्या -541/2000 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –

1.30नि0 संतोष कुमार थाना चक्करघट्टा जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक-12.09.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

◆ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा

◆ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री कुंवर जितेन्द्र प्रताप सिंह (सिविल जज (जू0डि)/न्यायिक मजिस्ट्रेट चक्रिया चन्दौली) द्वारा दोषी 02 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि व 3000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 3 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना चक्रिया के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 09.01.1991 को धारा 147,323,325,504 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.मुनीब 2. वकील पुत्र गण स्व सेउ निवासी मलहर थाना चक्रिया जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 03/1991 धारा 147,323,325,504 भादवि थाना चक्रिया में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री विपीन बिहारी यादव (पीओ) व थाना चक्रिया के पैरोकार आरक्षी दुर्गेश कुमार यादव की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-12.09.24 को पीठासीन अधिकारी श्री कुंवर जितेन्द्र प्रताप सिंह (सिविल जज (जू0डि)/न्यायिक मजिस्ट्रेट चक्रिया चन्दौली) द्वारा दोषी अभियुक्त 1.मुनीब 2. वकील पुत्र गण स्व सेउ निवासी मलहर थाना चक्रिया जनपद चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि व 3000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 3 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक-12.09.2024

(आपरेशन कन्विकशन)

◆ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा

◆ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री माधुरी (न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 3000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 3 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना मुगलसराय के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 12.11.1993 को धारा 279,304ए भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.कृष्ण कुमार शुक्ला पुत्र ईश्वर प्रसाद निवासी केवली थाना होरावल जनपद सोनभद्र के विरुद्ध अपराध संख्या- 360/1993 धारा 279,304ए भादवि थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री विपीन कुमार (एपीओ) व थाना मुगलसराय के पैरोकार हे0का0 राजेश राय की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-12.09.24 को पीठासीन अधिकारी सुश्री माधुरी (न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी अभियुक्त 1.कृष्ण कुमार शुक्ला पुत्र ईश्वर प्रसाद निवासी केवली थाना होरावल जनपद सोनभद्र को न्यायालय उठने तक की सजा व 3000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 3 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक-12.09.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

◆ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा

◆ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नुतन (सिविल जज (जू0डि0)/एफटीसी-प्रथम जनपद) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1500 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 7 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना मुगलसराय के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 16.01.1994 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.नन्हकू पुत्र शम्भू निवासी कटहरा थाना उतराव जनपद प्रयागराज के विरुद्ध अपराध संख्या- 19/1994 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री विजय कुमार पाण्डेय व थाना मुगलसराय के पैरोकार हे0का0 राजेश राय की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-12.09.24 को पीठासीन अधिकारी सुश्री नुतन (सिविल जज (जू0डि0)/एफटीसी-प्रथम जनपद) द्वारा दोषी अभियुक्त 1.नन्हकू पुत्र शम्भू निवासी कटहरा थाना उतराव जनपद प्रयागराज को जेल में बितायी गयी अवधि व 1500 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 7 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक-12.09.2024

(आपरेशन कन्विकशन)

◆ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा

◆ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री माधुरी (न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 03 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व 3000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 3 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना सैयदराजा के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 04.02.1996 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.शिवचन्द्र बिन्द पुत्र गोपाल निवासी चन्दौस थाना चान्द भभुआ बिहार 2.मूसे पुत्र मेवा यादव निवासी कोडग थाना चान्द भभुआ बिहार 3.निर्मल बिन्द पुत्र लाल बिन्द थाना चान्द भभुआ बिहार के विरुद्ध अपराध संख्या- 17/1996 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना सैयदराजदा में पंजीकृत किया गया। उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री विपीन कुमार (एपीओ) व थाना सैयदराजा के पैरोकार आरक्षी राजीव प्रजापति की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-12.09.24 को पीठासीन अधिकारी सुश्री माधुरी (न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी अभियुक्तों 1.शिवचन्द्र बिन्द पुत्र गोपाल निवासी चन्दौस थाना चान्द भभुआ बिहार 2.मूसे पुत्र मेवा यादव निवासी कोडग थाना चान्द भभुआ बिहार 3.निर्मल बिन्द पुत्र लाल बिन्द थाना चान्द भभुआ बिहार को न्यायालय उठने तक की सजा व 3000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 3 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक-12.09.2024

(आपरेशन कन्विकशन)

◆ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा

◆ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नुतन (सिविल जज (जू0डि0)/एफटीसी-प्रथम जनपद) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1600 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 7 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना बलुआ के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 17.01.2004 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.पप्पू राम पुत्र छांगुर राम निवासी इनायतपुर थाना धीना जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 06/2004 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना बलुआ में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री विजय कुमार पाण्डेय (एपीओ) व थाना बलुआ के पैरोकार आरक्षी अखिलेश कुमार यादव की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-12.09.24 को पीठासीन अधिकारी सुश्री नुतन (सिविल जज (जू0डि0)/एफटीसी-प्रथम जनपद) द्वारा दोषी अभियुक्त 1.पप्पू राम पुत्र छांगुर राम निवासी इनायतपुर थाना धीना जनपद चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि व 1600 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 7 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक-12.09.2024

(आपरेशन कन्विकशन)

◆ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा

◆ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नुतन (सिविल जज (जू0डि0)/एफटीसी-प्रथम जनपद) द्वारा दोषी 03 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि व 1600 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 7 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना बलुआ के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 06.04.2001 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.रमेश यादव पुत्र सीरी यादव 2.मोती यादव पुत्र निर्मला यादव 3. सुरेन्द्र कुमार यादव पुत्र शिव निवासीगण मटियरा थाना बलुआ जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 49/2001 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना बलुआ में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटारिंग सेल व श्री विजय कुमार पाण्डेय (एपीओ) व थाना बलुआ के पैरोकार आरक्षी अखिलेश कुमार यादव की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-12.09.24 को पीठासीन अधिकारी सुश्री नुतन (सिविल जज (जू0डि0)/एफटीसी-प्रथम जनपद) द्वारा दोषी अभियुक्तों 1.रमेश यादव पुत्र सीरी यादव 2.मोती यादव पुत्र निर्मला यादव 3. सुरेन्द्र कुमार यादव पुत्र शिव निवासीगण मटियरा थाना बलुआ जनपद चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि व 1600 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 7 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रेस नोट दिनांक- 12.09.2024

जनपद चन्दौली

- ◆ कानून व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही खाकी कर रही रिश्तों को भी मजबूत।
- ◆ छोटी मोटी बातों व गलतफहमियों के कारण अलग हुए दम्पतियों को चन्दौली पुलिस द्वारा लगातार समझा-बुझाकर कराया जा रहा एक।
- ◆ महिला थाना/परिवार परामर्श केन्द्र के अथक प्रयास से आज 04 बिछड़े दम्पति पुनः एक साथ रहने को हुए राजी।

चंदौली:- पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांगे के निर्देशानुसार महिला थाना/परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा बिछड़े दम्पतियों को मिलाकर एक परिवार के बीच पुनः खुशियां लौटाने का लगातार सार्थक प्रयास किया जा रहा है। दिनांक 12.09.2024 को ऐसे ही 04 परिवार से पति व परिजनों के विरुद्ध पारिवारिक विवाद के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थना पत्रों पर दोनों पक्षों को जरिये नोटिस/मोबाइल द्वारा सूचित कर महिला थाना/परिवार परामर्श केन्द्र पर बुलाकर पारिवारिक मूल्यों एवं महत्व को बताते हुए अथक प्रयास से समझाया बुझाया गया। दोनों पक्ष आपसी सहमति एवं बिना किसी जोर दबाव के अपनी बीती हुई बातों/गलतियों को स्वीकार कर नये सिरे से पुनः पति/पत्नी की तरह एक दूसरे का सम्मान करते हुये रहने को तैयार हुये। महिला थाना/परिवार परामर्श केन्द्र से दम्पति के बीच पारिवारिक विवाद को समाप्त कराते हुये टूटते हुये रिश्ते को बचाते हुये पति/पत्नी को परिजनों के साथ राजी खुशी भेजा गया।

प्रेस नोट दिनांक 12.09.2024

थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली

❖ थाना नौगढ़ पुलिस द्वारा गैरेस्टर एक्ट के वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगहे द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अंकुश लगाने के क्रम में दिये गये निर्देश में व अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी नौगढ़ कृष्ण मुरारी शर्मा के कुशल पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन में कृपेन्द्र प्रताप सिंह थानाध्यक्ष थाना नौगढ़ के नेतृत्व में थाना नौगढ़ पर गठित टीम द्वारा वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 12.09.2024 को थानाध्यक्ष कृपेन्द्र प्रताप सिंह मय टीम द्वारा जयमोहनी पोस्ता गहिला बाबा मोड के पास से 01 वांछित अभियुक्त सुलाब पुत्र फूलचन्द नि0 ग्राम नरकटी थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली सम्बन्धित मु0अ0स0 90/24 धारा 3(1) गैरेस्टर एक्ट थाना नौगढ़ को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।

अभियुक्त का विवरण-

सुलाब पुत्र फूलचन्द नि0 ग्राम नरकटी थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली उम्र 45 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास का विवरण –

1. मु0अ0सं0 – 70/2023 धारा 3/5A/8 गौवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना नौगढ़ चन्दौली
2. मु0अ0सं0 90/2024 धारा 3(1) गैरेस्टर एक्ट थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

थानाध्यक्ष कृपेन्द्र प्रताप सिंह थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली।

का0 विशाल यादव थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली।

का0 शुभम पाण्डेय थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक 12.09.2024

जनपद चन्दौली

◆ साइबर क्राइम टीम द्वारा आवेदक का फ़ाड धनराशि-41,000/- रुपये वापस

कराया गया

चंदौली:- पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली श्री आदित्य लांगहे के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह के निर्देशन में एंव पुलिस उपाधीक्षक आशुतोष के कुशल पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष साइबर क्राइम वीरेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में साइबर क्राइम टीम द्वारा साइबर क्राइम के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद चन्दौली के साइबर क्राइम थाना द्वारा की गयी त्वरित कार्यवाही के चलते आवेदक अनिल गुप्ता पुत्र राजारात गुप्ता निवासी ग्राम बसनी पो0 जन्सो की मडई थाना अलीनगर जनपद चन्दौली का फ़ाड तरीके से 41,000/- रुपये का साइबर अपराधी द्वारा अपनी बातो लेकर आनलाइन धोखाधडी की गयी थी. जिसके सम्बन्ध में आवेदक अनिल गुप्ता उपरोक्त द्वारा साइबर क्राइम पुलिस पोर्टल पर 1930 के माध्यम से आनलाइन शिकायत किया गया। इसी क्रम में थाना साइबर क्राइम जनपद चन्दौली द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए आवेदक के खाते से निकाली गयी धनराशि 41,000/- रुपये को आवेदक के खाते में वापस करायी गयी। आवेदक अनिल गुप्ता उपरोक्त द्वारा पुलिस अधीक्षक चन्दौली व थाना साइबर क्राइम टीम को धन्यवाद/आभार प्रकट किया गया है।

नाम पता आवेदक:-

अनिल गुप्ता पुत्र राजारात गुप्ता निवासी ग्राम बसनी पो0 जन्सो की मडई थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

फ़ाड का दिनांक-04.09.2023

फ़ाड धनराशि बरामदगी की दिनांक-12.09.2024

वापस करायी गयी धनराशि रुपया – 41,000/-

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0 नि0 वीरेन्द्र कुमार (थानाध्यक्ष साइबर क्राइम)
- 2.आरक्षी अनिल कुमार
- 3.आरक्षी सन्तोष कुमार यादव
- 4.आरक्षी मनोज चौहान
- 5.आरक्षी मो0 नौशाद

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 12.09.2024

जनपद चन्दौली

◆ पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों में नियुक्त महिला बीट अधिकारियों द्वारा ग्राम/स्कूल/कालेज चौपाल का आयोजन कर महिलाओं की समस्याओं का किया जा रहा निस्तारण

◆ समस्त थानों की महिला पुलिस कर्मी व एण्टीरोमियो टीम द्वारा मंदिरों, बाजारों, स्कूलों/कालेजों व प्रमुख मार्गों पर चेकिंग के दौरान 03 संदिग्ध व्यक्तियों को दी गई चेतावनी

उ०प्र० शासन की मंशा के अनुरूप मिशन शक्ति अभियान (फेज 4) के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगे के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों के पुलिस बल द्वारा थाना क्षेत्र के गाँवों/स्कूलों/कालेजों में चौपाल का आयोजन कर प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में चौपाल के आयोजन करने की शुरुआत की गई है। अब महिलाओं/बालिकाओं को अपनी समस्या व शिकायत लेकर थाना पुलिस चौकी व अन्य पुलिस कार्यालय बार-बार नहीं आना पड़ेगा अपितु "शक्ति दीदी" नियमित रूप से ग्राम/स्कूल चौपाल के माध्यम से विभिन्न गाँवों/स्कूलों/कालेजों में उपस्थित होकर महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही संवाद स्थापित कर उनकी शिकायतों का शीघ्र निस्तारण किया जाएगा।

इसी क्रम में आज दिनांक 12.09.2024 को जनपद चन्दौली के समस्त थानों पर नियुक्त महिला पुलिसकर्मियों द्वारा सीधा संवाद स्थापित कर महिलाओं / बालिकाओं से वार्ता कर उनकी समस्याओं व शिकायतों के विषय में जानकारी कर समस्याओं का शीघ्र निस्तारण किया जा रहा है। महिलाओं एवम् बालिकाओं को मिशन शक्ति (नारी सुरक्षा, नारी सम्मान व नारी स्वावलंबन) फेज-4 के तहत महिला सुरक्षा व बचाव संबंधी जानकारी दी गई और शासन द्वारा जारी हेल्प लाइन नम्बर-112,108,181,1076,1090, 1098 की जानकारी देते हुए संकट के समय इनके प्रयोग हेतु बताया गया। साथ ही शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं में उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। साइबर अपराधों से बचाव के बारे में बताया गया और यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर अपराध की घटना घटित होती है तो तत्काल साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराये सूचना दर्ज होने के उपरान्त शीघ्र त्वरित कार्यवाही की जायेगी।

इसी क्रम में जनपद के समस्त एण्टीरोमियो टीम द्वारा अपने-अपने क्षेत्र अन्तर्गत चेकिंग अभियान के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों को चेक किया गया। जिसके तहत 03 व्यक्तियों को चेतावनी दी गई।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक-12.09.2024

◆ आदित्य लांगहे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली की नयी पहल, जनपद की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने व अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में बैरियर लगाकर निरंतर चेकिंग हेतु जारी किये निर्देश

◆ एक सप्ताह के लिए अस्थाई बैरियर लगाकर की जाएगी चेकिंग, स्थान बदल-बदलकर विभिन्न प्वाइंट पर की जाएगी लगातार चेकिंग

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांगहे द्वारा जनपद में संदिग्धों व अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने हेतु जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में एक सप्ताह के लिए प्वाइंट निर्धारित करते हुए बैरियर लगाकर चेकिंग कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। निर्धारित स्थान पर लगे बैरियर अस्थाई रहेंगे तथा समय समय पर इनके स्थान को बदरल कर थानाक्षेत्र के अन्य स्थानों पर चेकिंग कराई जाएगी। जहां पर लगातार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जाएगी।

इसी क्रम में थाना चन्दौली में-03, थाना सैयदराजा-01, थाना कन्दवा-01, थाना मुगलसराय-01, थाना अलीनगर-03, थाना बबुरी-03, थाना सकलडीहा-01, थाना बलुआ-03, थाना धानापुर-01, थाना धीना-03, थाना चकिया-02, थाना शहाबगंज -01, थाना इलिया-01, थाना नौगढ़-02, व थाना चकरघट्टा-02 स्थानों पर बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही।

प्रेस नोट-दिनांक: 12.09.2024

यातायात पुलिस चंदौली

◆ यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम ने चलाया विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान आज दिनांक 12.09.2024 को कुल 120 वाहनों का चालान करते हुए 1,85,500/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया।

◆ यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम चन्दौली द्वारा वाराणसी से बिना परमिट व बिना फिटनेस पर आ रहे ऑटो का भी किया जा रहा चालान

◆ यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा लगातार बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालो पर लगातार कार्रवाई जारी

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चंदौली श्री आदित्य लांगे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात रघुराज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक यातायात सुरेन्द्र यादव मय यातायात टीम व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा दिनांक 12.09.2024 जनपद में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने तथा मानक के अनुरूप नम्बर प्लेट न लगाये जाने पर कुल 120 वाहनों का चालान करते हुए 1,85,500/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार प्रमुख चौराहों पर यातायात अपराधों के विरुद्ध विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों के पालन के लिये जागरूक किया गया।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय चंदौली श्री आदित्य लांगे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात ,रघुराज के निकट पर्यवेक्षण तथा यातायात प्रभारी सुरेन्द्र यादव व सभी यातायात अधि0/कर्मचारीगण के द्वारा बढ़ती हुयी सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में जनपद के प्रमुख चौराहों तिराहों व सार्वजनिक मार्गों, पर लगातार भ्रमणशील रहकर यातायात पुलिस चंदौली द्वारा यातायात नियमों के पालन के लिये सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के तहत रोड़ पर लोगो को जागरूक किया गया । साथ ही साथ आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों के पालन करने हेतु जैसे- नशे की हालत में वाहन न चलाने, निर्धारित मानक से अधिक सवारी न बैठाने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने अवयस्क को वाहन न चलाने देने सीट बेल्ट का प्रयोग करने दो पहिया वाहनों पर हेलमेट का प्रयोग करने वाहनों को ओवर लोड न चलाने आदि के संबन्ध में जागरूक किया गया व सभी को अवगत कराया गया कि "सीटबेल्ट" का प्रयोग व दो पहिया वाहन चलाते समय "हेलमेट" का प्रयोग अवश्य करें ।

इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित यातायात के नियमों के उल्लंघन करने पर चालान की कार्रवाई की गयी है-

क्रम संख्या यातायात नियम उल्लंघन का प्रकार चालान की संख्या

- 1 मोटरसाइकिल पर तीन सवारी-01
- 2 बिना इंश्योरेंस के वाहन चलाना-05
3. बिना हेलमेट-22
4. नो पार्किंग-50
5. गलत दिशा में वाहन चलाना-27

6. गलत नंबर प्लेट- 03
7. बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना - 02
8. बिना सीटबेल्ट- 02
9. ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन का प्रयोग- 01
10. बिना फिटनेस वाहन चलाना-03
11. बिना परमिट- 02
12. अन्य- 02

यातायात नियमों के उलंघन में आज दिनांक 12.09.2024 को की गयी कार्यवाही का विवरण:-

(1)संपूर्ण चालान:-120

(2)संपूर्ण कारित राजस्व:-1,85,500/- रूपयें

प्रेस विज्ञप्ति-12.09.2024

आदित्य लांगहे पुलिस अधीक्षक चंदौली द्वारा थाना नौगढ़ का औचक निरीक्षण कर थाना कार्यालय, हवालात, सीसीटीएनएस कार्यालय आदि का निरीक्षण किया गया सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।

दिनांक 12.09.2024 को पुलिस अधीक्षक चंदौली आदित्य लांगहे द्वारा थाना नौगढ़ का औचक निरीक्षण किया गया। जिसमें थाना परिसर, कार्यालय, CCTNS कार्यालय, विवेचना कक्ष, महिला हेल्प डेस्क, संतरी ड्यूटी आदि का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा रिकॉर्डों को अद्यावधिक करने, शौचालय में साफ-सफाई व पानी की व्यवस्था तथा साफ सफाई रखने से संबंधित आवश्यक दिशा- निर्देश दिए गए। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाने के हिस्ट्रीशीटर रजिस्टर, त्योहार रजिस्टर, मासिक निरीक्षण रजिस्टर व अपराध रजिस्टर का अवलोकन, इसी दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय ने संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग को प्रभावी बनाने, रात्रि गश्त व पिकेट को प्रभावी बनाने, एचएस चेकिंग, लम्बित विवेचनाओं को गुणदोष के आधार पर निस्तारण व वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश भी दिए।

तत्पश्चात थाना नौगढ़ अन्तर्गत पडने वाले ग्रामों के ग्राम प्रधानों, चौकीदारों व एसपीओ (पुलिस मित्र) के साथ गोष्ठी कर उन्हें जनपदीय कानून व्यवस्था बनाये रखने, अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु अपेक्षित सहयोग के लिए कहा गया और नौगढ़ थाना क्षेत्र में पडने वाले कई गांव अन्तर्राज्यीय सीमा व अन्तर्जनपदीय सीमा से लगे हुए हैं उन गावों में किसी संदिग्ध व्यक्ति के आवागमन, संदिग्ध वस्तु के दिखाई देने पर तत्काल थाना स्थानीय को सूचित करें साथ ही निरन्तर गश्त करते रहे।

इस मौके पर थानाध्यक्ष नौगढ़ कृपेन्द्र प्रताप सिंह व थाना प्रभारी चकरघड़ा धीरेन्द्र प्रताप सिंह, व अन्य पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

प्रेस नोट दिनांक- 12.09.2024

जनपद चन्दौली

◆ जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों के आस पास व सार्वजनिक स्थानों पर नशेबाजी करने वालों को खिलाफ चेकिंग व कार्रवाई अभियान

◆ जनपदीय पुलिस द्वारा कुल 45 शराबियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई

चन्दौली:- सड़क, कार, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना या शराब पीकर गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध है, ऐसा करना आपके लिए और दूसरे के लिये खतरनाक साबित हो सकता है। यह जरूरी बातें सभी जानते हैं लेकिन जो नहीं मानते उनके लिये जनपद चन्दौली पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई।

चन्दौली में सार्वजनिक स्थानों पर खुले में शराब पीने, रंगबाजी, जुआ खेलने, स्टंट दिखाने, छेड़खानी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। अभियान में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। एक बार से अधिक पकड़े जाने पर डिफॉल्टर्स का लाइसेंस भी निरस्त करवाने की कार्रवाई की जा रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संवेदनशील जगह चिह्नित कर पुलिस ने उपरोक्त प्रकार के व्यक्ति पर कार्यवाही की गई।

चन्दौली पुलिस ऐसे लोगों के विरुद्ध मात्र कार्यवाही ही नहीं कर रही बल्कि ऐसे सभी लोगों को मादक पदार्थों /शराब के सेवन से होने वाले आर्थिक व शारीरिक हानि के साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा व परिवार के सदस्यों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के सम्बन्ध में जागरूक किया जा रहा तथा आगे से मादक पदार्थों का सेवन न करने हेतु प्रेरित भी किया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांगहे ने बताया कि जनपद के समस्त अधिकारी व थाना प्रभारीगण को सघन चेकिंग अभियान लगातार चलाते हुए कार्यवाही किये जाने के साथ ही लोगों को जागरूक किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। यह अभियान निरन्तर पूरे जनपद में चलाया जाता रहेगा।

इसी क्रम में 12.09.2024 को समस्त थानों द्वारा धारा 292 BNS व पुलिस एक्ट की धारा 34 के तहत कुल 45 शराबियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक-12.09.2024

◆ आदित्य लांगहे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में मोटरसाइकिल चोरी पर नियन्त्रण व वाहन चोरी में संलिप्त अपराधियों के सत्यापन हेतु चलाया गया अभियान।

◆ घटनाओं में संलिप्तता पाये जाने पर की जाएगी कार्यवाही, मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने हेतु लगातार चलाया जाएगा अभियान

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली, आदित्य लांगहे के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों/क्षेत्रों व चौकीक्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी पर नियन्त्रण व वाहन चोरी में संलिप्त अपराधियों के सत्यापन हेतु अभियान चलाकर इनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए गए हैं।

जनपदीय पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियान के तहत जनपदीय क्षेत्र के संदिग्ध चोरों के घर व निवास स्थानों पर जाकर सत्यापन किया जा रहा है। इनकी अपराध में संलिप्तता व वर्तमान सक्रियता की स्थिति के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।

इसी क्रम में थाना चन्दौली-09, थाना सकलडीहा-03, थाना धानापुर-06, थाना शहाबगंज-01, थाना इलिया-01, थाना बलुआ-02, थाना सैयदराजा-25, अलीनगर-19 कुल-66 संदिग्धों के घर/ निवास स्थान पर जाकर चेकिंग/सत्यापन किया गया तथा अपराध में संलिप्तता पाये जाने पर कार्यवाही भी की जाएगी।